भारत सरकार **राज्य सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 2181**

<u>दिनांक 25 अप्रैल, 2012 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

विशेष आर्थिक क्षेत्रों की इकाइयों में रोजगार
वीजा संबंधी मानदंडों में छूट दिया जाना

2181. **श्रीमती टी॰ रत्नाबाईः**

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय विशेष आर्थिक क्षेत्रों की इकाइयों में विदेशियों के लिए रोजगार वीजा, जिससे भारी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आता है, के मानदंडों में छूट दिए जाने की मांग करेगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में विशेषतया आन्ध्र प्रदेश में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

<u>उत्तर</u>

<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य मा0 सिंधिया)</u>

(क) और (ख) : विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) भी गृह मंत्रालय द्वारा लागू किए गए रोजगार बीजा मानदण्डों का विदेशियों के लिए पालन करती है । वाणिज्य विभाग को इन मानदण्डों में छूट देने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों से कोई विशेष प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

....